न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 35 / 2016

प्राथी

1.मूलचन्द पुत्र गंगा राम
जाति कुमावत उम्र 55 वर्ष
निवासी बुगालिया का बास,कुचामन सिटी
तहसील कुचामनसिटी (नागौर)

बनाम

अप्रार्थी

1. धर्मचन्द पुत्र सुजादास
2. सुवाराम पुत्र सुजादास
3. पवन कुमार पुत्र सुजादास जाति समस्त साद (स्वामी) निवासीयान पंचायत समिति के पीछे, गौशाला के पास, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
4. शिम्भुदयाल पुत्र नरसीराम जाति कुमावत निवासी बड़ला की ढाणी, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर,
5. कानाराम पुत्र हीराराम जाति कुमावत निवासी पंचायत समिति के पिछे, गौशाला के पास कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
6. मंदिर श्री बिहारी जी संरक्षण तहसील, कुचामन
7. पटवारी हल्का, कुचामन सिटी।
8. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधी तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)

प्रार्थना–पत्र धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम. 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
श्री मोहम्मद हनीफ एवं श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से

आदेश

दिनॉक :– 31/07/2017

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि कस्बा कुचामन सिटी तहसील नांवा हाल तहसील कुचामन सिटी के गत खसरा नम्बर 109 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 108 खसरा नम्बर 107 कुल रकबा 12 बीघा 10 बीस्वा स्थित रही है। गत खसरा नम्बर 109, 108, 107 के नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नम्बर 747 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 748 रकबा 1.97 हैक्टर कुल रकबा 2.02 हैक्टर कायम हुए हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर की भूमि वक्त जागीर से तत्कालीन जागीदार से हासल लगान तत्कालीन जागीदारों को अदा किया जाता रहा है। तत्पश्चात् जागीर जब्ती के दौरान सीधा लगान सरकार को जमा कराते आ रहे थे। उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खातेदारी मंदिर श्री बिहारी जी वाके देह खातेदार दर्ज होता रहा है जबकि खातेदार मुझ प्रार्थी के दादा मंगलाराम काश्त करते आ रहे थे। उनके स्वर्गवास के बाद मेरे पिता गंगाराम काश्त करते आ रहे थे, उनके स्वर्गवास हो जाने क बाद मुझ प्रार्थी का कब्जा आधिपत्य में चली आ रही है जिस पर आज दिन काबज काश्तकार चले आ रहे हैं। जिसे निर्विवाद रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। जबकि प्रार्थी के पिताजी दादाजी के नाम से गत खसरा नम्बर 109, 108, 107 में गिरदावरी में सम्वत् 2010 से 2013 में काश्तकार कॉलम में काश्त लगातार दर्ज होती चली आ रही थी। खतौनी बनी तब उस समय मुझ प्रार्थी के पूर्वजों के नाम को छोड़ दिया गया एंव अप्रार्थी सं. 6 मंदिर श्री बिहारी जी के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई जिसको प्रार्थी अपने हक–हिस्से की पैतृक भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। उपरोक्त भूमि मे प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है जिसकी खातेदारी में नाम दर्ज नही होने पर उक्त भूमि आज दिन मदिंर श्री बिहारी जी के नाम से दर्ज होने से अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की नीयत में फितूर आ गया। जैसे –जैसे जमीनों की कीमतें बढती गई अप्रार्थी सं. 1 ता 5 भूमि का किसी भू–माफिया गिरोह को कागजो में बेचान करके मुझ प्रार्थी की कब्जासुदा पैतृक भूमि हक हिस्से से बेदखल की धमकी दी गई एंव मौके पर जे.सी.बी. ट्रेक्टर इत्यादि चलाकर समतल करने पर उतारू हो गये हैं। जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है एंव उक्त भुमि के छोटे–छोटे प्लॉट भूखण्ड काट रहे हैं जबकि उनको ऐसा करने का कोई हक–अधिकार नहीं है। उक्त के छोटे–छोटे प्लॉट भूखण्ड काट रहे है जबकि उनको ऐसा करने का कोई हक–अधिकार नही है। उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है जिसका प्रार्थी स्पष्ट खातेदारी दर्ज का अधिकारी है तथा अपने अधिकारो की हितो की सुरक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा व खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद लाना आवश्यक हुआ है। उक्त भूमि पैतृक भूमि को प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 ता 5 द्वारा बेचान करने व प्लॉट काटकर बेचने व बेदखल की व यहॉ प्लॉटिंग करने की धमकी दी गई। उक्त पैतृक भूमि को ताकत व धन बल व भुज बल के आधार पर प्रार्थी को बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी के जायज हक–हकूकों का हनन होगा व उनके अधिकारों के साथ बेजा कुठाराघात होगा जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं होगी इसलिए प्रार्थी के अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने व मदिंर भूमि के हितों की सुरक्षार्थ यह वाद लाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि कस्बा कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 747 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 748 रकबा 1.97 हैक्टर कुल रकबा 2.02 हैक्टर भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का भूखण्ड प्लॉट इत्यादि नहीं काटें न ही समतल करे न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान करावें जिससे मौके पर शान्ति व्यवस्था बनी रह सके।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा इकतरफा बहस सुनाने पर दिनॉक 22.07.2016 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का जवाब शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 बावजूद इतला अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा किसी प्रकार का जवाब पेश नही किया ,अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय नागौर के पत्रांक/कोर्ट/2016/1910 दिनॉक 03.10.2016 के द्वारा अलग से अनुच्छेदवार टिप्पणी चाही। दिनॉक 16.01.2017 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर एवं दिनॉक 01.06.17 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी आदेशो की प्रतिया प्रस्तुत हुई जो

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

शामिल मिसल है। दिनॉक 18.07.2017 को अप्रार्थी अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री बोदूराम चौधरी ने उपस्थित होकर मय वकालतनामा के लिखित बहस पेश की । वकील प्रार्थी ने बहस हेतु समय चाहा, अप्रार्थी संख्या 6 मन्दिर श्री बिहारी जी संरक्षक तहसीलदार कुचामनसिटी व प्रतिवादी संख्या 8 तहसीलदार कुचामनसिटी है, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र शामिल मिसल है। दिनॉक 28.07.2017 को वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं उपस्थित आये वकील प्रार्थी नं बहस सुनाई। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र संलग्न दस्तावेजात माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर का निर्णय दिनॉक 08.12.2016 में अधिनस्थ न्यायालय का अन्तरिम आदेश दिनॉक 22.07.2016 को निरस्त कर दोनो पक्षो को पुनः सुनकर एक माह में निस्तारण करने हेतु आदेश पारित किये। जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर ने निर्णय दिनॉक 01.06.2017 को अपील निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश 39 नियम 3 ए सी.पी.सी. के अनुसरण में 1 माह मे दोनो पक्षो को सुनकर निस्तारण करने एवं तब तक उभय पक्षकारान को विवादित आराजी के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं किसी प्राकर का निर्माण कार्य नही करे न ही प्लाट काटे, संबंधी निर्णय पारित किया जो शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री बोदूराम चौधरी की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि उक्त मन्दिर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 लागू होन पर सम्वत 2008 से ही खातेदार मन्दिर श्री बिहारी जी के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा ही पूजा सार–संभाल देख–रेख की जा रही है। वादग्रस्त खसरो का हस्तानान्तरण नही किया जा रहा है न ही किया जा सकता है। क्योकिं उक्त मंदिर श्री बिहारी जी महाराज शाश्वत नाबालिग है, प्रार्थी न तो विवादित खसरो के खातेदार है न ही प्रार्थी का कब्जा काश्त है, इसलिये प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए बताया कि सम्वत 2010 से लेकर आज दिनॉक तक कब्जा काश्त पहले प्रार्थी के पूर्वजो का था उनके देहान्त के बाद प्रार्थी का है, इसलिये प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को भारी नुकसान होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना–पत्र ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में तीन बिन्दूओ पर निर्णय करना है।

(1)– प्रथम दृष्टया मामला :– प्रार्थी ने वर्ष 2010 से आज तक पूर्वजो एवं प्रार्थी का होने से प्रार्थी अपने नाम से प्रार्थना–पत्र पेश कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा चाही तहसीलदार कुचामनसिटी के जवाब एवं संलग्न खतौनी से उक्त आराजी मंदिर के खाते में दर्ज है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला न तो प्रार्थी के पक्ष में नही अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में है।

(2)– सुविधा का सन्तुलन :– प्रार्थी ने अपना कब्जा काश्त बताया तहसीलदार कुचामनसिटी के जवाब व कागजात खतौनी से उक्त जमीन मन्दिर की बताई है, मंदिर की जमीन पर कब्जा काश्त नही होता है इसलिये सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में नही है।

(3)– अपूर्णीय क्षति :– उक्त आराजी मंदिर बिहारीजी महाराज की है एवं खाता मन्दिर बिहारीजी महाराज की है एवं खाता मन्दिर बिहारीजी के नाम होने से न तो प्रार्थी को क्षति होगी है नही अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को होगी।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना–पत्र के संलग्न पटवारी हल्का एवं निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी की रिपोर्ट वकुलाय की प्रस्तुत लिखित बहस, अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनॉक 22.07.2016 व संलग्न खतौनी राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी का जवाब माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर का निर्णय दिनॉक 08.12.2016 व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनॉक 01.06.2017 का व वकील अप्रार्थी की लिखित व मौखिक बहस में अंकित नजीरें इत्यादि का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर उक्त आराजी मन्दिर महाराज की होने व मंदिर शाश्वत नाबालिग अमूख होने से अपनी आराजी की स्वयं देख रेख नही कर सकते इसलिये उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 747 748 कुल रकबा 2.02 हैक्टर जो मन्दिर की भूमि है और मन्दिर की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा निर्माण इत्यादि है तो कानूनन अवैध है। मंदिर की भूमि की हिफाजत करना हर नागरिक का दायित्व है।

उक्त तीनो बिन्दू प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 5 के पक्ष में नही होना साबित होने से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 747, 748 की आराजी शुरू से लेकर आज दिनॉक तक मंदिर के नाम खतौनी मे दर्ज होने से प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 747, 748 रकबा 2.02 हैक्टर मे प्रार्थी का अपना प्रार्थना–पत्र साबित नही करने पर प्रार्थना–पत्र में जारी अन्तरिम आदेश दिनॉक 22.07.2016 को निरस्त कर मूल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। मंदिर माफी भूमियो का संरक्षक राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार होने से तहसीलदार कुचामनसिटी अपने तहसील क्षेत्राधिकार मंदिर माफियो के मामलो में कृतव्यो की पालना की जाना सुनिश्चित करे।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)